


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 22482

दिनांक 22 मार्च, 2020


::संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/कोरोना/2020/22459 दिनांक 19, मार्च 2020 द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के बिन्दु स0 01 में आंशिक संशोधन किया जाकर किसी भी सार्वजनिक स्थलो, धार्मिक स्थलो पर 20 या 20 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने के स्थान पर 05 व्यक्ति किये जाते हैं।


(राजेंद्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
17. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा-जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील


जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा